

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: -249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल :- Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-139/2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बचन दास पुत्र श्री रामदास, ग्राम/पो0 गोरसाली तह0 भटवाडी
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री बचन दास पुत्र श्री रामदास, ग्राम/पो0 गोरसाली तह0 भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-05/11/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके21122012367 जो कि रामदास के नाम से संचालित है, पर बिल संयोजन के विच्छेदन के बाद भी दिए जा रहे हैं। शिकायत कर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-105/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-05/11/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-11/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 819/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पराया

25/11/24

25/11/2024

25/11/24

गया कि उपभोक्ता पर माह 06/2018 में मीटर रीडिंग 1319 पर अवशेष बीजक रु0 24452.00 (चौबीस हजार चार सौ बावन) था, जिसके बाद माह 08/2018 से माह 02/2024 तक सभी बिल एन0आर0/आई0डी0एफ पर निर्गत किए गए थे। अवशेष बिल होने के कारण उक्त संयोजन को माह 02/2024 में अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, वर्तमान में उपभोक्ता पर अवशेष धनराशि रु0 69103.00 (उनहत्तर हजार एक सौ तीन) है। मंच द्वारा परिवादी के उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवादी के दिनांक 04.02.2016 से 08.02.2016 तक जारी सभी एन0आर0 बिलों का समायोजन कर दिया गया है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 09.10.2018 से 19.02.2022 तक जारी एन0आर0 और दिनांक 08.04.2022 से 08.02.2024 तक जारी आई0डी0एफ बिलों को निरस्त करें और नया विद्युत मापक के स्थापित होने के बाद ही बिल निर्गत किए जाएं। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 09.10.2018 से 19.02.2022 तक जारी एन0आर0 और दिनांक 08.04.2022 से 08.02.2024 तक जारी आई0डी0एफ बिलों को निरस्त करें और नया विद्युत मापक के स्थापित होने के बाद ही बिल निर्गत किए जाएं। अनुपालन आख्या 60 दिवसों के भीतर मंच के समक्ष पेश करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

विभाग उत्तरकाशी वि.उ.शि.नि.
मंच उत्तरकाशी

(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

विभाग उत्तरकाशी वि.उ.शि.नि.
मंच उत्तरकाशी

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

विभाग उत्तरकाशी वि.उ.शि.नि.
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-110/2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री चमन लाल पुत्र श्री दर्शन लाल, ग्राम अदनी पो0 रौतल पट्टी गमरी
चिन्ग्यालीसौड उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री चमन लाल पुत्र श्री दर्शन लाल, ग्राम अदनी पो0 रौतल पट्टी गमरी चिन्ग्यालीसौड उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-24/09/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके24144413437 जो कि दर्शन लाल के नाम से संचालित है, पर बिल एन0आर0 के आधार पर दिए जा रहे हैं और वर्तमान में विद्युत बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। शिकायत कर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने और संयोजन को अपने नाम परिवर्तन करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-95/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-24/10/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-11/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा परिवादी के संयोजन की प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने के बाद विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी को निर्गत समस्त आई0डी0एफ/एन0आर0 बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा विनियम में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित कर आज ही सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करें। इस पर

Kut Prasad
25/11/24

क्रमशः 2.....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

25/11/24

25/11/2024

विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 345/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 08.11.2024 के मार्फत मंच के समक्ष आख्या पेश की गयी। विपक्षी/विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार उपभोक्ता के एन0आर0 और आई0डी0एफ बिलों का संशोधन कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 67479.00 (सड़सठ हजार चार सौ उन्नासी) से रु0 20886.00 (बीस हजार आठ सौ छियासी) का संशोधित बिल बनाया गया है। इस पर मंच द्वारा विपक्षी की कार्यवाही से परिवादी को दूरभाष से अवगत कराया गया। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर मौखिक रूप से संतुष्टि जाहिर की है।

चूंकि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करें। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के अवशेष बिल रु0 67479.00 (सड़सठ हजार चार सौ उन्नासी) से रु0 20886.00 (बीस हजार आठ सौ छियासी) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 60 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही परिवादी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-137 / 2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती डबली देवी पत्नी स्व० श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम अदनी पो० रौतल
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

परिवादिनी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती डबली देवी पत्नी स्व० श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम अदनी पो० रौतल चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-04/11/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके24144400467 जो कि रुपचन्द्र के नाम से संचालित है, पर उनके द्वारा वर्ष 2021 में रु० 18000.00 (अठ्ठारह हजार) जमा तथा वर्ष 2023 में रु० 7780.00 (सात हजार सात सौ अस्सी) जमा किए गए थे। दिनांक 23.10.2024 को उक्त संयोजन काट दिया गया। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों का संशोधन करने की कृपा करें, और संयोजन को जुड़वाने का कष्ट करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-103/2024 वि०उ०शि०नि०म०उका फोरम/दिनांक-04/11/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-11/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 350/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 08.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की और अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 18.02.2008 से पूर्व तथा 19.02.2016 तक आई०डी०एफ पर निर्गत हुए। और इसके बाद के समस्त बिल एमयू पर

25/11/24

25/11/2024

25/11/24 क्रमशः 2.....

आधारित हैं। वर्तमान में उपभोक्ता का बिल रु0 54864.00 (चौवन हजार आठ सौ चौंसठ) है। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी को निर्गत आई0डी0एफ बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित करें। इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 350A/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 11.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की और मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता को निर्गत दो बिलिंग चक्र से अतिरिक्त आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतया समाप्त कर बिल पुनः संशोधित कर रु0 54864.00 (चौवन हजार आठ सौ चौंसठ) से संशोधित कर रु0 1950.00 (एक हजार नौ सौ पचास) बनाया गया है।

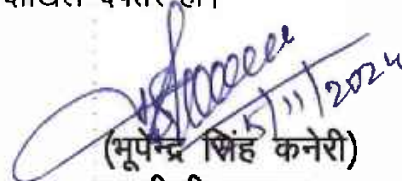
चूंकि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादिनी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

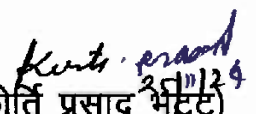
परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादिनी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के अवशेष बिल रु0 54864.00 (चौवन हजार आठ सौ चौंसठ) से संशोधित कर रु0 1950.00 (एक हजार नौ सौ पचास) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही परिवादिनी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-111/2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, ग्राम अदनी पो0 रौतल
चिन्गालीसौड उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, ग्राम अदनी पो0 रौतल चिन्गालीसौड उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-24/10/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके24144417840 पर बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। शिकायत कर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-96/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-24/10/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-11/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 346/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 08.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और मंच को अवगत

Smt
25/11/24

Shree
25/11/2024

Kirti Prasad
25/11/24

क्रमशः 2.....

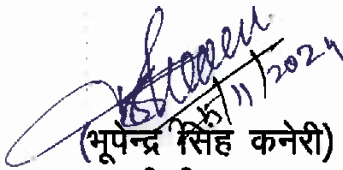
कराया गया कि उपभोक्ता के समस्त विद्युत बिल एम0यू0 पर आधारित हैं। पत्रावली एवं बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवादी को पहले ही एन0आर0 बिलों पर समायोजन का लाभ दे दिया गया है। और बिल संशोधन योग्य नहीं है।

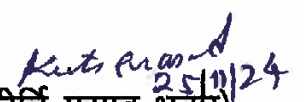
उक्त परिचर्चा के आधार पर मामला बलहीन होने पर खारिज किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किए जाते हैं।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(सतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-138/2024

दिनांक:- 26.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री मंगसीरु, ग्राम गवाणा धनारी डुण्डा
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री मंगसीरु, ग्राम गवाणा धनारी डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-04/11/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके14114410449 पर बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। शिकायत कर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-104/2024 वि०उ०शि०नि०मं०उका फोरम/दिनांक-04/11/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-11/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 351/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 08.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 12.12.2014 से 13.11.2016 तथा 13.01.2019 से 13.03.2023 तक एन०आर०/आई०डी०एफ पर निर्गत हो रहे हैं, और वर्तमान बिल रु०

26/11/24

26/11/2024

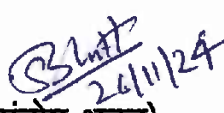
क्रमशः 2.....
26/11/24

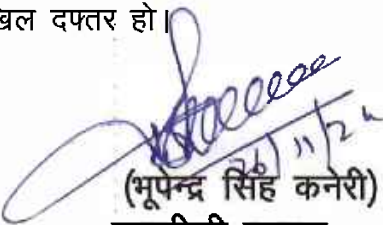
18087.00 का अवशेष है। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी को जारी समस्त एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित कर बिल अगली सुनवाई में पेश करें।

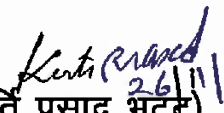
दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 365/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की और अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार उपभोक्ता को जारी समस्त एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतया समाप्त कर बिल पुनः रु0 32472.00 (बत्तीस हजार चार सौ बहत्तर) से संशोधित कर रु0 13335.00 (तेरह हजार तीन सौ पैंतीस) कर दिया गया है। चूंकि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करें। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के अवशेष बिल रु0 32472.00 (बत्तीस हजार चार सौ बहत्तर) से संशोधित कर रु0 13335.00 (तेरह हजार तीन सौ पैंतीस) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही परिवादी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहसदून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

विद्युत नियामक आयोग
न्यायिक मंच उत्तरकाशी

विद्युत नियामक आयोग
न्यायिक मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi – 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन: -249193

दूरभाष: +917895754011, 9412139791

ई-मेल :- Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-205 / 2024

दिनांक:- 28.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जगताराम पुत्र श्री बच्ची राम, ग्राम नन्दगांव पो0 वडाकोट
टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री जगताराम पुत्र श्री बच्ची राम, ग्राम नन्दगांव पो0 वडाकोट टिहरी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक-28/11/2024 पीपलडाली टिहरी में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या टी0एच13409002724 पर कुछ समय पूर्व स्थापित विद्युत मीटर को बदल दिया गया था परन्तु वर्तमान में बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि उनको निर्गत बिल को संशोधित किया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी और अवर अभियन्ता को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। मंच ने विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया और पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर नया मीटर स्थापित कर दिया गया है और निर्गत बिल मीटर यूनिट पर आधारित है और वर्तमान में परिवादी पर रु0 4872.00 (चार हजार आठ सौ बहत्तर) का बकाया है। जो कि सही प्रतीत होता है।

Kul Arora
28/11/24

क्रमशः 2.....

S. H. H.
28/11/24

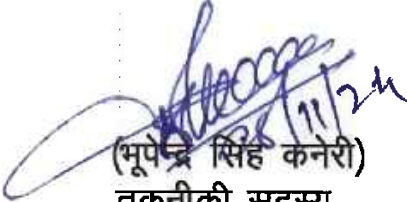
[Signature]
28/11/24

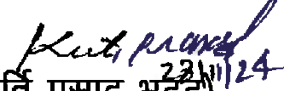
मंच ने परिवादी को हिदायत दी कि यदि उन्हें बिल एवं मीटर पर संशय है तो वह चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। चैक मीटर एवं मैन मीटर में अन्तर आने पर बिल सही करना विभागीय कार्यवाही पर शेष रहेगा। शिविर में उपस्थित परिवादी ने विभागीय कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की इस तरह शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी यदि चाहे तो बिल की जांच हेतु चैक मीटर लगवा सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: -249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: -Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-204/2024

दिनांक:- 28.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री केवल राम पेटवाल पुत्र श्री मूर्तिराम ग्राम/पो0 पेटब
जाखणीधार टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री केवल राम पेटवाल पुत्र श्री मूर्तिराम ग्राम/पो0 पेटब जाखणीधार टिहरी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक-28/11/2024 पीपलडाली टिहरी में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या टी0एच13715005894 पर कुछ समय पूर्व स्थापित विद्युत मीटर को बदल दिया गया था परन्तु वर्तमान में बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि उनको निर्गत बिल को संशोधित किया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी और अवर अभियन्ता को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। मंच ने विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया और मौके पर विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी के बिल को खपत के सापेक्ष संशोधित कर प्रस्तुत करे। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के बिल को संशोधित कर रु0 82.00 (बयासी रुपये) बनाया गया, जिससे उभय पक्ष संतुष्ट हुए।

Kut, Ram
28/11/24
क्रमशः 2.....

3/11/24
28/11/24

[Signature]
28/11/24

शिविर में उपस्थित परिवादी ने विभागीय कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की इस तरह शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का विपक्षी/विभाग द्वारा समाधान कर दिया गया है, और परिवादी को वर्तमान में रु0 82.00 (बयासी रुपये) का बिल प्रेषित किया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-145/2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री महेश कुमार पुत्र श्री कातकु लाल ग्राम सरतली पट्टी भण्डारस्यूं
पो0 स्यालना उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री कातकु लाल ग्राम सरतली पट्टी भण्डारस्यूं पो0 स्यालना उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-11/11/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके14120412498 जो कि कातकु लाल के नाम से संचालित है, पर बिल एन0आर0 के आधार पर दिए जा रहे हैं और वर्तमान में विद्युत बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। शिकायतकर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने और संयोजन को अपने नाम परिवर्तन करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-111/2024 वि0उ0शि0नि0म0उका फोरम/दिनांक-13/11/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-25/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी ने मंच के समक्ष पत्रांक 368/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के पत्र के माध्यम से अवगत किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल दिनांक 17.01.2008 से 30.09.2017 तक आई0डी0एफ/एन0आर0 पर निर्गत किए गए। इसके उपरान्त के बिल एम0यू0 पर आधारित हैं, लेकिन उपभोक्ता द्वारा आज तक बिल जमा न होने के कारण बिल रु0 40425.00 (चालिस हजार चार सौ

उपभोक्ता
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
न्याय मंच उत्तरकाशी
25/11/2024

Karti Prasad
25/11/24
क्रमशः 2.....

पच्चीस) हो गया है। मंच द्वारा तथ्यों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री से यह विदित है कि उपभोक्ता के दिनांक 26.01.2015 से 02.04.2016 तक लगातार आई0डी0एफ बिल और दिनांक 17.01.2008 से 16.11.2017 तक एन0आर0 के बिल प्रेषित किए जिनका दिनांक 18.03.2018 को रु0 99985.00 (निन्यानवे हजार नौ सौ पिचासी) और दिनांक 13.07.2023 को रु0 13996.00 (तेरह हजार नौ सौ छियानवे) का समायोजन करके सुधार कर दिया है। इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग ने पत्रांक 377/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 25.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की और मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता को निर्गत समस्त आई0डी0एफ/एन0आर बिलों को नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 40425.00 (चालीस हजार चार सौ पच्चीस) से रु0 31992.00 (इकत्तीस हजार नौ सौ बयानवे) बनाई गयी है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही से मंच द्वारा परिवादी को दूरभाष से अवगत कराया गया। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की।

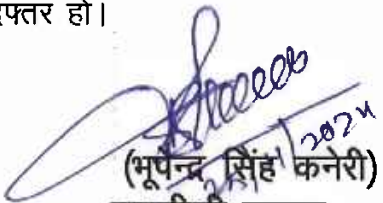
चूंकि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

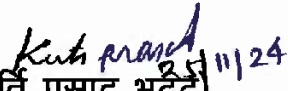
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के अवशेष बिल रु0 40425.00 (चालीस हजार चार सौ पच्चीस) से रु0 31992.00 (इकत्तीस हजार नौ सौ बयानवे) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही परिवादी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-194 / 2024

दिनांक:- 28.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मकान सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, ग्राम चौरी
पो0 गडोलिया टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशारी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मकान सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह ग्राम चौरी पो0 गडोलिया टिहरी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक-28/11/2024 पीपलडाली टिहरी में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या टी0एच13429052012 पर स्थापित विद्युत मीटर को विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व में बदल दिया गया था परन्तु मीटर बदलने के बाद से उन्हें बिल प्राप्त नहीं हुआ है जिसका कारण मीटर रीडर द्वारा बताया गया कि मशीन द्वारा बिल नहीं निकल रहा है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी और अवर अभियन्ता को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग ने अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खराब था, जिसे बदलकर नया मीटर स्थापित कर दिया गया है, साथ ही परिवादी के बिल को भी संशोधित कर दिया गया है जो कि वर्तमान में ऋणात्मक है।

S. S. S.
28/11/24

Supervisor
28/11/24

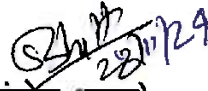
K. S. S.
28/11/24

क्रमशः 2.....

शिविर में उपस्थित परिवादी ने विभागीय कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की इस तरह शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद का मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-103/2024

दिनांक:- 26.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मोहन प्रसाद सिलवाल, पुरोला रोड़ नौगांव बड़कोट।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, ~~उत्तरकाशी~~ ^{बड़कोट}

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मोहन प्रसाद सिलवाल, पुरोला रोड़ नौगांव बड़कोट उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-25/09/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके द्वारा 03 कि0वा0 का सोलर पॉवर प्लान्ट लगा रखा है और विद्युत विभाग के साथ प्रार्थी का दैनिक विद्युत उत्पादन का विधिवत रूप से अनुबन्ध हो रखा है, लेकिन विभाग द्वारा समय-समय पर रीडिंग नहीं ली जाती है जिस कारण उसे विद्युत बिल से संबंधित भारी नुकसान उठाना पड़ता है। परिवादी ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा उन्हें गलत रूप से एक वर्ष का विद्युत बिल रु0 157000.00 (एक लाख सत्तावन हजार) दिया गया है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके द्वारा उत्पादन की गई 03 कि0वा0 प्रतिदिन का मूल्य निर्धारित किया जाए और यदि विभाग के मध्य लेन-देन बचता है तो स्थिति को देखते हुए लेन-देन कराने का कष्ट करें साथ ही उक्त धनराशि के बिल को संशोधित करवाने की कृपा की जाए।

Kuty prasad
26/11/24

क्रमशः 2.....

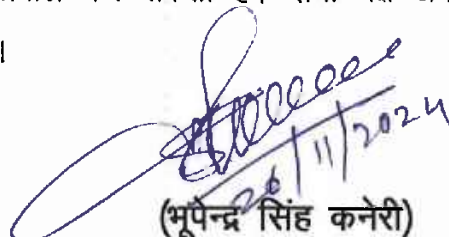
उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-86/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-25/09/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-28/09/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 129/वि0वि0उ0ख0ब0 दिनांक 15.10.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और मंच को अवगत कराया गया कि उक्त संयोजन मोहन प्रसाद सिलवाल के नाम से संचालित है, जिस पर विद्युत मापक संख्या 96663594 है। उपभोक्ता के सोलर संयंत्र का उत्पादन विद्युत खपत के सापेक्ष बहुत कम है, और वर्तमान रीडिंग 19609 के0डब्ल्यू0एच एवं निर्यात रीडिंग 1291 के0डब्ल्यू0एच है। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि वह संयोजन पर निर्गत बिलों के संशोधन हेतु एम0आर0आई करवाकर रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करें।

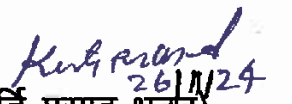
उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों का परिशीलन करने पर मंच ने पाया है कि परिवादी के संयोजन की एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.10.2024 को अधिकतम मांग 5.06 के0डब्ल्यू0 की तुलना में उपभोक्ता को प्रेषित किए गए विद्युत बिल अधिक प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसे में मंच को विद्युत मापक की शुद्धता पर शक न होने के कारण उपभोक्ता को चैक मीटर के लिए नियत शुल्क जमा कर लगवाने का सुझाव दिया जाना उचित होगा। जबकि परिवादी के परिसर में स्थापित सोलर संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा का समायोजन विभाग द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है। जहां तक परिवादी का यह कहना है कि उसके सोलर प्लांट से उत्पादित ऊर्जा का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए परिवादी सोलर संयंत्र की विशेषज्ञ संस्था से उत्पादन क्षमता का परीक्षण करवाने के लिए स्वतंत्र है। परिवादी द्वारा यह कहना है कि उसको समय पर न तो बिल मिल रहे हैं और न ही मापक की रीडिंग ली जा रही है। इसका प्रमाण विपक्षी ने बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज बिल जारी करने का विवरण मंच के समक्ष रखा गया। ऐसे में परिवादी की यह शंका भी निराधार प्रतीत होती है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-206/2024

दिनांक:- 28.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नलदास पुत्र श्री संग्राम दास, जाखणीधार
टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री नलदास पुत्र श्री संग्राम दास, जाखणीधार टिहरी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक-28/11/2024 पीपलडाली टिहरी में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या टी0एच13305001581 पर स्थापित विद्युत मीटर को विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व में बदल दिया गया था परन्तु मीटर बदलने के बाद भी विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक आ रहा है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी और अवर अभियन्ता को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। मंच द्वारा उक्त परिवाद के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता की विद्युत खपत उनके मीटर यूनिट पर आधारित है। अतः उक्त परिवाद खारिज करने योग्य है।

53/11/24
28/11/24

[Signature]
28/11/24

Kut prasad
28/11/24

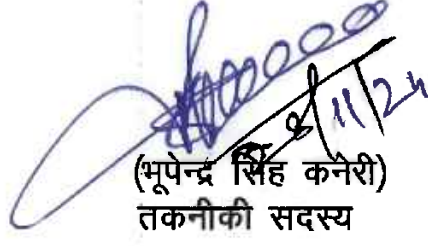
क्रमशः 2.....

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला खारिज किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: 249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या—104/2024

दिनांक:— 26.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नरेश पाल रावत पुत्र श्री कीर्ति सिंह, ग्राम/पो0 बौंगा
भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी—

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री नरेश पाल रावत पुत्र श्री कीर्ति सिंह, ग्राम/पो0 बौंगा भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक—26/09/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके11317014388 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के निर्गत किए जा रहे हैं। शिकायत कर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या—87/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक—26/09/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक—28/09/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 794(2)/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 30.09.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और मंच को अवगत कराया गया कि उक्त संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को माह 05/2023, 07/2023 एवं 09/2023 खपत क्रमशः 184, 143, एवं 156 यूनिट है।

Signature
26/11/24

Signature
26/11/2024

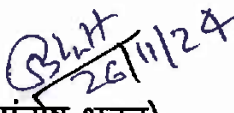
Signature
26/11/24
क्रमशः 2.....

जबकि सम्पूर्ण बिल रीडिंग पर निर्गत किये जा रहे हैं। उपभोक्ता पर बकाया होने के कारण माह 10/2023 में उक्त संयोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, और वर्तमान में उपभोक्ता पर रु0 84776.00 (चौरासी हजार सात सौ छियत्तर) का बकाया है।

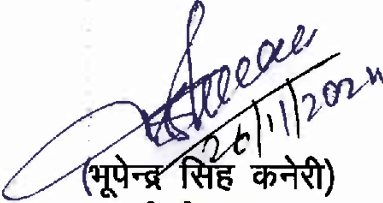
उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों का परिशीलन करने पर मंच ने पाया है कि उपभोक्ता को दिनांक 19.03.2011 और 18.05.2015 तक आर0डी0एफ/आई0डी0एफ बिल प्रेषित किए गए। जो कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन है। ऐसे में दिनांक 19.03.2011 से 21.05.2011 के बिलों को पूर्व में जारी किए गए तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के अनुसार संशोधित करना एवं दिनांक 16.07.2011 से 18.05.2015 तक के बिलों को निरस्त करना विद्युत विनियम के अनुसार न्यायोचित होगा। साथ ही उपरोक्त निरस्त बिलों पर जारी अधिभार भी परिवादी को लेने का अधिकार नहीं होगा। मंच द्वारा बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया और पाया कि परिवादी के अनुबंधित भार एक कि0वा0 की तुलना में जारी विद्युत बिलों में दर्शित खपत अधिक प्रतीत नहीं होती है। जबकि उपभोक्ता को विपक्षी द्वारा पूर्व में एन0आर0 बिलों का नियमानुसार समायोजन दिया जा चुका है। इसके अलावा विपक्षी ने परिवादी को नियमानुसार 56 का नोटिस, TD, PD एवं मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र न तो मंच को उपलब्ध कराये गये और न ही इसका विवरण बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज किया गया। यह विपक्षी की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। विपक्षी को हिदायत दी जाती है कि वह आदेश के अनुपालन की आख्या के दौरान उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज मंच के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 19.03.2011 और 21.05.2011 के बिलों को पूर्व में जारी किए गए तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के अनुसार संशोधित करें एवं दिनांक 16.07.2011 से 18.05.2015 तक के बिलों को निरस्त करें, इस दौरान कोई बिल उपभोक्ता को प्रेषित नहीं किया जा सकता है। संशोधित बिल/अनुपालन आख्या 60 दिवसों के भीतर मंच के समक्ष पेश करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता विभाग
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता विभाग
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता विभाग
निवारण मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-144 / 2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री ग्वाणू लाल ग्राम/पो0 बधाण गांव (मल्ली)
चिन्ग्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री ग्वाणू लाल ग्राम/पो0 बधाण गांव (मल्ली) चिन्ग्यालीसौड़ उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-11/11/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके24144413060 जो कि ग्वाणू के नाम से संचालित है। परिवादी का कथन है कि संयोजनधारी की मृत्यु 18 वर्ष पूर्व हो गयी थी जिस कारण बिल जमा नहीं हो पाया। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों का संशोधन करने की कृपा करें, और संयोजन को जुड़वाने का कष्ट करें।

25/11/24

25/11/2022

25/11/24

क्रमशः 2.....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत वितरण खंड
उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-110/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-13/11/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-25/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी ने मंच के समक्ष पत्रांक 367/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के पत्र के माध्यम से अवगत किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल दिनांक 18.02.2008 से 20.06.2018 तक आई0डी0एफ और दिनांक 18.12.2022 से 11.08.2024 तक एन0आर0 पर निर्गत किए गए। उपभोक्ता द्वारा आज तक बिल जमा न होने के कारण बिल रु0 106952.00 (एक लाख छः हजार नौ सौ बावन) हो गया है। मंच द्वारा तथ्यों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री से यह विदित है कि उपभोक्ता के दिनांक 18.02.2008 से 31.08.2018 तक लगातार आई0डी0एफ बिल और दिनांक 15.02.2023 से 11.08.2024 तक एन0आर0 के बिल प्रेषित किए जिनका दिनांक 14.02.2016 को रु0 16707.00 (सोलह हजार सात सौ सात) और दिनांक 15.02.2019 को रु0 33643.00 (तैंतिस हजार छः सौ तेतालिस) का समायोजन करके सुधार कर दिया है। इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग ने अपने पत्रांक 376/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 25.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की और मंच को अवगत कराया कि मंच के आदेशानुसार उपभोक्ता को निर्गत दो बिलिंग चक्र से अधिक आई0डी0एफ/एन0आर बिलों को निरस्त करते हुए संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 रु0 106952.00 (एक लाख छः हजार नौ सौ बावन) से रु0 25769.36 (पच्चीस हजार साम सौ उनहत्तर रुपये छत्तीस पैसे) बनाई गयी है।

चूंकि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को

उपभोक्ता
विपक्षी
नियामक मंच उत्तरकाशी
25/11/24

25/11/2024

Kirti Khand
25/11/24
क्रमशः 3.....
विपक्षी
नियामक मंच उत्तरकाशी

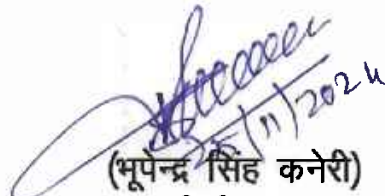
हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादिनी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के अवशेष बिल रु0 106952.00 (एक लाख छः हजार नौ सौ बावन) से रु0 25769.36 (पच्चीस हजार साम सौ उनहत्तर रुपये छत्तीस पैसे) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही परिवादी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विभाग द्वारा भुगतान शिकायत
निस्तारण मंच उत्तर काशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विभाग द्वारा भुगतान शिकायत
निस्तारण मंच उत्तर काशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विभाग द्वारा भुगतान शिकायत
निस्तारण मंच उत्तर काशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-198/2024

दिनांक:- 28.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजकुमार ग्राम अनेठी पो0 खण्डोगी टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राजकुमार ग्राम अनेठी पो0 खण्डोगी टिहरी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक-28/11/2024 पीपलडाली टिहरी में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्हें विद्युत संयोजन संख्या टी0एच13323931328 पर विद्युत बिल ग्राम सभा कुमारधर में दिया जाता है जबकि वह ग्राम अनेठी का निवासी है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल की बुक टी0एच23702 को बदलवाने की कृपा करें ताकि वह समय पर बिल जमा कर सके।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी और अवर अभियन्ता को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग ने अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बिल जो कुमारधर से आता था वह बदल कर ग्राम अनेठी से जारी किए जाने हेतु बुक को बदल दिया गया है, और आगे उक्त संयोजन पर सभी बिल अनेठी की बिल बुक से जारी किए जाएंगे।

शिविर में उपस्थित परिवादी ने विभागीय कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की इस तरह शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया।

Kirti Prasad
28/11/24

क्रमशः 2.....

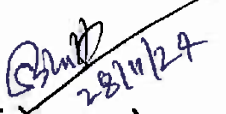
31/11/24
28/11/24

[Signature]
28/11/24

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी की बिल संबंधी बुक संख्या परिवर्तित करने की समस्या का विपक्षी/विभाग ने मौके पर समाधान कर दिया है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: 249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-106 / 2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुभाष सिंह राणा पुत्र श्री तेग सिंह, ग्राम कुमराडा पो0 बल्डोगी
चिन्गालीसौड़ उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री सुभाष सिंह राणा पुत्र श्री तेग सिंह, ग्राम कुमराडा पो0 बल्डोगी चिन्गालीसौड़ द्वारा उपभोक्ता शैलेन्द्र सिंह निवासी उपरोक्त के प्रतिनिधि के रूप विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में दिनांक-10/10/2024 को शिकायत पेश की गई। उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या यू0के24142434494 का विद्युत बिल अत्यधिक आ रहा है। उपभोक्ता ने विद्युत बिल को ठीक करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-90/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-10/10/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-15/10/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। नियत तिथि को विपक्षी/विभाग ने आधा-अधूरी आख्या प्रस्तुत की। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि आज ही परिवादी को जारी समस्त आई0डी0एफ बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम के अनुसार संशोधित कर आख्या प्रस्तुत करें। इस पर सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा संशोधित आख्या प्रस्तुत की गई। मंच द्वारा मामले में दिनांक 18.10.2024 की तिथि/सुनवाई निस्तारण को नियत की गई।

नियत तिथि को परिवादी ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में बिल में और संशोधन किया जाए। जबकि विपक्षी/विभाग ने अपने पत्रांक 327

CS/11/24
26/11/24

26/11/2024

कमिश: 2.....
26/11/24

(A)/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 15.10.2024 के मार्फत लिखित कथन किया कि परिवादी के दो बिलिंग चक्र से अतिरिक्त आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतया समाप्त कर बिल पुनः रु0 63526.00 (तिरेसठ हजार पांच सौ छब्बीस) से संशोधित कर रु0 25770.15 (पच्चीस हजार सात सौ सत्तर रुपये पंद्रह पैसे) कर दिया है। विपक्षी ने अपनी आख्या में परिवादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री और संशोधित बिल विवरणिका मंच के समक्ष प्रस्तुत की। साथ ही विपक्षी ने पुनः अपने पत्रांक 343/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 08.11.2024 के मार्फत अपने जवाब का दोहराव किया है। मामले में दिनांक 11.11.2024 की तिथि सुनवाई के लिए नियत की गई। सुनवाई के दौरान उभय पक्षों को एक और मौका देते हुए मंच द्वारा सुनवाई/निस्तारण के लिए दिनांक 25.11.2024 की तिथि नियत की गई।

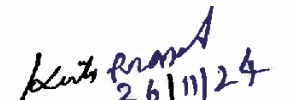
दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा प्रकरण में पत्रावली का परिशीलन कर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। चूंकि विपक्षी ने परिवादी को जारी आई0डी0एफ बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित कर दिया है। विपक्षी ने परिवादी को दिनांक 08.11.2024 तक जारी वर्तमान बिल कुल रु0 64859.00 (चौंसठ हजार आठ सौ उनसठ) से संशोधित कर रु0 25428.00 (पच्चीस हजार चार सौ अट्ठाईस) कर दिया है जो कि विनियम के अनुसार सही है। इस पर परिवादी ने भी मौखिक रूप से विपक्षी की कार्यवाही पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के वर्तमान तक कुल अवशेष बिल रु0 64859.00 (चौंसठ हजार आठ सौ उनसठ) से संशोधित कर रु0 25428.00 (पच्चीस हजार चार सौ अट्ठाईस) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही परिवादी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: -249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल :- Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-193/2024

दिनांक:- 28.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री त्रेपन सिंह ग्राम चौरी
पो0 गडोलिया टिहरी।

परिवादिनी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री त्रेपन सिंह ग्राम चौरी पो0 गडोलिया टिहरी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक-28/11/2024 पीपलडाली टिहरी में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या टी0एच13429129032 पर उन्हें बिल प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसका कारण विभाग द्वारा बताया गया कि मशीन से बिल नहीं प्राप्त हो रहा है। मंच से परिवादिनी ने अनुरोध किया कि उक्त प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें ताकि उन्हें बिल प्राप्त हो सके।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी और अवर अभियन्ता को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग ने अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खराब था, जिसे बदलकर नया मीटर स्थापित कर दिया गया है, साथ ही परिवादिनी के बिल को भी संशोधित कर दिया गया है जो कि वर्तमान में ऋणात्मक है।

शिविर में उपस्थित परिवादिनी ने विभागीय कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की इस तरह शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया।

28/11/24

28/11/24

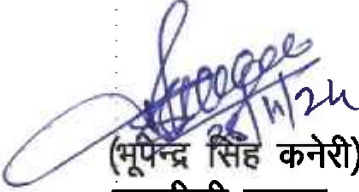
Kunz arand
28/11/24

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद का मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(मूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-101/2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुरेश लाल पुत्र स्व० श्री चतर लाल ग्राम चिणाखोली पो० रतूडी सेरा
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

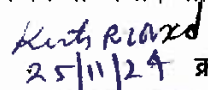
विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री सुरेश लाल पुत्र स्व० श्री चतर लाल ग्राम चिणाखोली पो० रतूडी सेरा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-24/09/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके14118416451 जो कि दिलधारी के नाम से संचालित है, पर बिल की धनराशि संयोजनधारी की मृत्यु के पश्चात् जमा नहीं हुई है, और वर्तमान में विद्युत बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा करना संभव नहीं है। शिकायत कर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने और संयोजन को अपने नाम परिवर्तन करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच


25.11.24

25/11/2024

25/11/24 क्रमशः 2.....
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

द्वारा अपने पत्रांक संख्या-84/2024 वि०उ०शि०नि०म०उ०का फोरम/दिनांक-25/09/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-28/09/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक 28.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय जांच आख्या अप्राप्त रही। मंच द्वारा न्यायहित में समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई में विभागीय जांच आख्या पेश करने हेतु आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा सुनवाई तिथि से पूर्व पत्रांक 324/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 14.10.2024 के मार्फत आख्या पेश की और अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 15.03.2022 से 16.05.2023 तक आर०डी०एफ पर निर्गत हुए, तथा इसके बाद के समस्त बिल एम०यू० के आधारित हैं। उपभोक्ता पर वर्तमान में रु० 18893.00 (अट्ठारह हजार आठ सौ तिरानवे) का बकाया है।

दिनांक 15.10.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि वह उपभोक्ता को निर्गत समस्त आई०डी०एफ बिलों को विद्युत नियामक आयोग की शर्तोंनुसार सही कर संशोधित बिल अगली सुनवाई में बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश करें। दिनांक 18.10.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 324(A1)/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 15.10.2024 के मार्फत आख्या पेश की अपने जवाब में मंच के समक्ष लिखित कथन किया कि मंच के आदेशानुसार परिवादी के बिल में प्रदर्शित दो बिलिंग चक्र से अधिक समस्त एन०आर०/आई०डी०एफ बिलों को पूर्णतयः समाप्त कर बिल रु० 18893.00 (अट्ठारह हजार आठ सौ तिरानवे) से संशोधित कर रु० 17074.70 (सत्रह हजार चौहत्तर रुपये सत्तर पैसे) कर दिया है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही से मंच द्वारा परिवादी को दूरभाष से अवगत कराया गया। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की।

चूंकि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई०डी०एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया।

25.11.24
विद्युत नियामक आयोग
मंच उत्तरकाशी

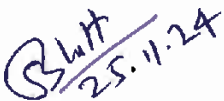
25/11/2024
विद्युत नियामक आयोग
मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad
क्रमशः 3.....
विद्युत नियामक आयोग
मंच उत्तरकाशी

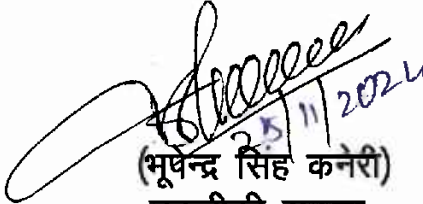
इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के अवशेष बिल रु0 18893.00 (अट्ठारह हजार आठ सौ तिरानवे) से संशोधित कर रु0 17074.70 (सत्रह हजार चौहत्तर रुपये सत्तर पैसे) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही परिवादी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता निवारण
विभागीय मंच उत्तर काशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता निवारण
विभागीय मंच उत्तर काशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता निवारण
विभागीय मंच उत्तर काशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-123/2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुशील सिंह पंवार पुत्र स्व० श्री महेन्द्र सिंह पंवार ग्राम धराली
तह० भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री सुशील सिंह पंवार पुत्र स्व० श्री महेन्द्र सिंह पंवार ग्राम धराली उत्तरकाशी द्वारा दिनांक-26/10/2024 को मंच द्वारा आयोजित हर्षिल शिविर में अपने विद्युत संयोजन यू०के०11111024878 पर स्थापित विद्युत मापक (मीटर) को ठीक करवाने की शिकायत दर्ज कराई गयी थी।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। परिवाद में विपक्षी को मौके पर ही परिवादी की समस्या का नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए गए। परिवाद को लेकर मंच में दिनांक 11.11.2024 को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान विपक्षी ने मंच के समक्ष पत्रांक 814/वि०वि०उ०ख०उ० दिनांक 08.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और अवगत कराया गया कि परिवादी के खराब मीटर को बदलने हेतु Online Request No. 20911240153 दिनांक 09.11.2024 से पंजीकरण करते हुए मीटर कार्यालय स्टाफ को मीटर अतिशीघ्र बदलने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर परिवाद की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा परिवादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 12.08.2023 से 19.10.2024 तक एन०आर० के (8 बिल) प्रेषित किए गए। चूंकि विपक्षी ने माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समय पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। जिसमें खराब मीटर बदलने को लेकर माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग आपूर्ति सहित 2020 के विनियम के उप विनियम 5.1.4(1) में स्पष्ट है कि उपभोक्ता का विद्युत मापक खराब होने की सूचना के 30 दिनों के भीतर निरीक्षण

CSLH#
25/11/24

25/11/2024

Kirti Prasad
25/11/24 क्रमशः 2.....

करके यदि मापक खराब है तो 15 दिनों के भीतर बदला जाना आवश्यक है। इसके अलावा उप विनियम 5.1.7(1) में स्पष्ट है कि मीटर खराब होने की दशा में परिवादी को दो बिलिंग चक्रों से अधिक के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

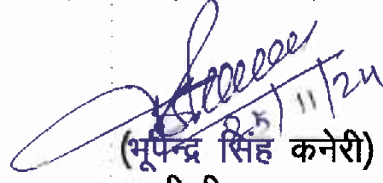
उपरोक्त परिचर्चा से यह स्पष्ट है कि विपक्षी ने उपरोक्त विनियमों का अनुपालन नहीं किया है। ऐसे में मंच का यह मत है कि परिवादी के दिनांक 12.08.2023 एवं 11.10.2023 के बिलों को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित करना तथा दिनांक 23.12.2023 के उपरान्त दिए गए सभी एन0आर0 के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित होगा। मामले में निम्न आदेश दिए जाते हैं।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपभोक्ता के दिनांक 12.08.2023 एवं 11.10.2023 के बिलों को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत अनुसार संशोधित करे, तथा उसके उपरान्त एन0आर0 बिलों को निरस्त करें। साथ ही उपभोक्ता के संयोजन पर नया विद्युत मापक स्थापित करना सुनिश्चित करें। अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष पेश करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विवाद उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विवाद उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विवाद उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-134/2024

दिनांक:- 25.11.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री तारादत्त पुत्र स्व० श्री चण्डिका प्रसाद ग्राम पुजारगांव धनारी
डुण्डा उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

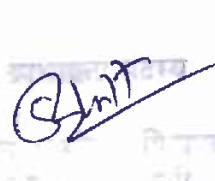
विपक्षी

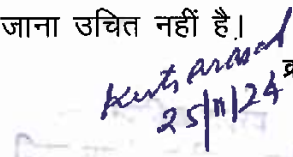
:: निर्णय ::

परिवादी श्री तारादत्त पुत्र स्व० श्री चण्डिका प्रसाद ग्राम पुजारगांव धनारी डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-28/10/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके14112417966 पर बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। शिकायत कर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने और संयोजन को अपने नाम परिवर्तन करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-97/2024 वि०उ०शि०नि०म०उ०का फोरम/दिनांक-28/10/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-11/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 347/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 08.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के समस्त विद्युत बिल एम०यू० पर आधारित हैं, और बिल संशोधन योग्य नहीं है। इस पर मंच ने बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया तो विपक्षी द्वारा परिवादी को नियमानुसार सही बिल प्रेषित किए गए। जिससे परिवादी का मामला आगे ले जाना उचित नहीं है।

क्रमशः 2.....


25/11/2024


25/11/24

उक्त परिचर्चा के आधार पर मामला खारिज किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किए जाते हैं।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)
25/11/24
(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

(Signature)
25/11/24
(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

(Signature)
25/11/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

विभाग - विवाद
विभाग - विवाद

विभाग - विवाद
विभाग - विवाद

विभाग - विवाद
विभाग - विवाद